69

आदेश

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2003

का.आ. 191(अ).– केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ– (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम सीमेंट (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2003 है ।

(2) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएं– इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) अभिप्रेत है ;

(ख) "समुचित प्राधिकारी" से कोई ऐसा प्राधिकरी, जो भारत सरकार के किसी अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो या कोई ऐसा अधिकारी जो किसी राज्य सरकार के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र की पंक्ति से नीचे का न हो, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस आदेश के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियुक्त किया जाए, अभिप्रेत है ;

(ग) "ब्यूरो" से भारतीय मानक ब्यूरो अभिप्रेत है ;

(घ) "सीमेंट" से भारत में विनिर्मित या विक्रीत सीमेंट की कोई किस्म अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत स्फोट भट्टी धातुमल सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, त्वरित दृढ़ीकारी पोर्टलैंड सीमेंट, सफेद पोर्टलैंड सीमेंट, हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट,

सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट, निम्नताप पोर्टलैंड सीमेंट, उच्च प्रबलता सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट, रेल स्लीपर्स, विनिर्माण में प्रयुक्त सीमेंट, चिनाई सीमेंट, आयल वेल सीमेंट, सुपर सल्फेटेड सीमेंट या सीमेंट की कोई अन्य किस्म सम्मिलित है जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस आदेश के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करे ;

(ङ) सीमेंट के संबंध में, "व्यवहारी" से ऐसा कोई व्यक्ति या कोई फर्म या कोई हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब अभिप्रेत है, जो प्रत्यक्ष रूप से या अन्यथा सीमेंट का, चाहे नकद अथवा आस्थगित संदाय के लिए अथवा कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए क्रय करने, विक्रय करने, प्रदाय करने या वितरण करने का कारबार करता है ;

(च) सीमेंट के संबंध में "विनिर्माता" से ऐसा कोई व्यक्ति, कोई फर्म या कोई हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब अभिप्रेत है, जो सीमेंट का उत्पादन करता है, उसे बनाता है, या उसका विनिर्माण करता है और इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति या कोई फर्म या हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब भी है, जो यह दावा करता है कि ऐसी सीमेंट का, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति या फर्म या हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब द्वारा उत्पादन किया गया है, उन्हें बनाया गया है, उनका समुच्चय या विनिर्माण किया गया है ;

(छ) "विनिर्दिष्ट मानक" से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विहित सीमेंट का भारतीय मानक विनिर्देश अभिप्रेत है ;

(ज) "राज्य सरकार" के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन भी है ;

(झ) अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इस आदेश में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उनके उस अधिनियम में हैं ।

3. विनिर्माण, विक्रय और वितरण, आदि के बारे में प्रतिषेध-- (1) कोई व्यक्ति स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति के माध्यम से सीमेंट का, जो विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं हैं और जिस पर मानक ब्यूरो चिह्न नहीं है, विनिर्माण या विक्रय के लिए भंडारकरण, विक्रय या वितरण नहीं करेगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार कोई आवेदन किए जाने पर, किसी व्यक्ति को, मानक चिह्न के बिना, एक सौ पचास दिन से अनधिक की अवधि के लिए सीमेंट का विनिर्माण या विक्रय के लिए भंडार, विक्रय या वितरण करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि नियमित मानक चिह्न की मंजूरी इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों के पास लंबित है :

परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार कोई आवेदन किए जाने पर, मानके चिह्न से छूट दे सकेगी, सदि यह समाधान हो जाता है कि विनिर्मित और भेजा गया सीमेंट निर्यात के प्रयोजन के लिए और विदेशी मानकों के अनुसार या क्रेता के विनिर्देशों के अनुसार है और भारतीय मानकों की तत्समान अपेक्षाओं के समान नहीं है ।

(2) वह सीमेंट जो विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं हैं, उसे एक मास के भीतर तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा ।

4. प्रमाणीकरण के लिए बाध्यता- (1) सीमेंट के विनिर्माता ब्यूरो को, इस आदेश के जारी होने के पैंतालीस दिन के भीतर मानक चिह्न के उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए, यदि पहले से अभिप्राप्त न की गई हो तो, एक आवेदन करेंगे ;

(2) मानक चिह्न के उपयोग के लिए ब्यूरो द्वारा अनुज्ञप्ति की मंजूरी अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुसार होगी ;

(3) जब कोई व्यक्ति जो स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति के माध्यम से सीमेंट का विनिर्माण करने की प्रस्थापना करता है, तो वह उसका उत्पादन आरंभ होने से पूर्व ब्यूरो का आवेदन करेगा ;

(4) एक या एक से अधिक सीमेंट के विनिर्माण के लिए किसी अनुज्ञप्ति की समाप्ति या ब्यूरो द्वारा किसी अनुज्ञप्ति के रद्दकरण या अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के आवेदन की अस्वीकृति से संबंधित जानकारी ब्यूरो द्वारा तुरन्त समुचित प्राधिकारी को भेजी जाएगी ।

5. जानकारी, आदि मांगने की शक्ति-- इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने की दृष्टि से समुचित प्राधिकारी-

(1) किसी व्यक्ति से, जो सीमेंट के विनिर्माण, विक्रय के लिए भंडारण, विक्रय या वितरण में लगा हुआ है, ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह इस आदेश के कार्यान्वयन के लिए किन्हीं विनिर्माण, विक्रय के लिए भंडारण, विक्रय या वितरण के संबंध में आवश्यक समझे अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से, ऐसे सीमेंट के नमूने प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा ;

(2) ऐसी किन्हीं बहियों या अन्य दस्तावेजों और अन्य सीमेंट का, जो ऐसी सीमेंट के विनिर्माण, विक्रय के लिए भंडारण, विक्रय या वितरण में लगे हुए किसी व्यक्ति द्वारा रखे गए हों या उससे संबंधित या उसके कब्जे में या उसके नियंत्रण के अधीन हों, निरीक्षण कर सकेगा या निरीक्षण करवा सकेगा ;

(3) किन्हीं परिसरों में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी कर सकेगा और उस सीमेंट का अभिग्रहण कर सकेगा जिनके संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश का कोई उल्लंघन किया गया है अथवा उक्त सीमेंट विहित मानक के नहीं हैं ; और

(4) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध, यावतशक्य, इस खंड के अधीन तलाशियों और अभिग्रहणों को लागू होंगे ।

6. नमूनों का परीक्षण- मानक चिह्न रखने वाले सीमेंट के ऐसे नमूनों का, जो समुचित प्राधिकारी द्वारा यह अभिनिश्चित करने के लिए लिए गए हों कि वे विनिर्दिष्ट मानक के हैं, परीक्षण ब्यूरो द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला में और ऐसी रीति से, जो ब्यूरो द्वारा अवधारित की जाए, किया जाएगा ।

7. विनिर्माताओं और व्यवहारियों या विक्रेताओं को निदेश जारी करने की शक्तियां-समुचित प्राधिकारी, विनिर्माताओं और व्यवहारियों या विक्रेताओं को ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो इस अधिनियम या इस आदेश के उपबंधों से संगत हो, जो इस आदेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो ।

8. निदेशों का अनुपालन- प्रत्येक व्यक्ति, जो किन्ही सीमेंट के विनिर्माण, विक्रय के लिए भंडारण, विक्रय या वितरण में लगा हुआ है, जिसको इस आदेश के अधीन कोई निदेश जारी किया गया है, ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा ।

9. सूचना देने की बाध्यता-कोई विनिर्माता या व्यवहारी इस आदेश के उपबंधों से बचने के आशय से खंड 5 के अधीन उससे विधिपूर्वक कोई जानकारी मांगे जाने पर उसे देने से इंकार नहीं करेगा या उसके द्वारा रखे गए या उससे संबंधित या उसके नियंत्रण के अधीन किन्हीं बहियों या दस्तावेजों या किन्ही सीमेंट को न तो छिपाएगा, न नष्ट करेगा, न ही विकृत करेगा या उन्हें विरुपित नहींकरेगा ।

[फा. सं. 13(2)/2000-सीमेंट II]

एस. जगदीशन, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th February, 2003

S.O. 191(E).— In exercise of the powers conferred by section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short Title and commencement:- (1) This Order may be called the Cement (Quality Control) Order, 2003.

   (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions:- In this Order, unless the context otherwise requires: -

   (a) "Act" means the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986);

   (b) "Appropriate Authority" means an officer not below the rank of an Under Secretary to the Government of India or an officer not below the rank of a General Manager, District Industries Centre of a State Government as may be appointed by the Central Government or the State Government by a notification published in the Official Gazette to implement the provisions of this Order;

   (c) "Bureau" means the Bureau of Indian Standards;

   (d) "cement" means any variety of cement manufactured or sold in India and includes blast furnace slag cement, portland pozzolana cement, rapid hardening portland cement, white portland cement, hydrophobic portland cement, ordinary portland cement, low heat portland cement, high strength

ordinary porland cement, cement used for the manufacture of railway sleepers, masonry cement, oil well cement, super sulphated cement or any other variety of cement which the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify for the purposes of this Order;

(e) "dealer" in relation to cement, means a person who, or a firm or Hindu Undivided Family which, carries on directly or otherwise the business of buying, selling, supplying or distributing cement, whether in cash or for deferred payment or for commission, remuneration of other valuable consideration;

(f) "manufacturer" in relation to cement, means a person who or a firm or Hindu Undivided Family which, produces, makes or manufactures cement and includes a person who, or a firm or Hindu Undivided Family which, claims such cement to be produced, made or manufactured by any such person or firm or Hindu Undivided Family, as the case may be;

(g) "Specified Standard" means the Indian Standard Specification of cement prescribed by the Bureau of Indian Standards;

(h) "State Government", includes a Union Territory Administration also;

(i) All other words and expressions used but not defined in this Order shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Prohibition regarding manufacture, sale, distribution etc:- (1) No person shall himself or by any person on his behalf, manufacture or store for sale, sell or distribute cement which does not conform to the Specified Standard and which do not bear the Standard Mark:

Provided that the Central Government may, on an application made, permit any person to manufacture or store for sale, or sell or distribute cement without Standard Mark for a period of not exceeding one hundred and fifty days, if it is satisfied that the grant of regular Standard Mark is pending with the authorities under the Act:

Provided further that the Central Government may, on an application made, grant exemption from Standard Mark, if it is satisfied that the cement manufactured and dispatched is for export purpose and is as per the Overseas Standards or as per Buyer's Specifications and do not coincide with the corresponding requirements of the Indian Standards.

(2) The cement which do not conform to the Specified Standard shall be destroyed immediately within a month.

4. Obligation for Certification:- (1) the manufacturer of cement shall make an application to the Bureau for obtaining licence for use of the Standard Mark within forty five days of the issue of this Order, if not already obtained.

(2) The grant of licence by the Bureau for use of the Standard Mark shall be as per provisions of the Act and the rules and regulations made thereunder.

(3) When any person by himself or through any person on his behalf proposes to manufacture cement, he shall make an application to the Bureau before the commencement of production.

(4) Information relating to expiry or cancellation of any licence or rejection of application for grant of licence by the Bureau for manufacture of one or more of the cement shall be sent to the Appropriate Authority immediately by the Bureau.

5. Power to call for information etc. :- The Appropriate Authority may, with a view to secure compliance with this Order:-

(1) require any person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of cement to give such information as it deems necessary in relation to the manufacture, storage for sale, sale or distribution of cement for the implementation of this Order or require any such person to furnish to it samples of such cement;

(2) inspect or cause to be inspected any books or other documents or cement kept by or belonging to or in possession or under the control of any

person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of such cement;

(3) enter and search any premises and seize cement in respect of which it has reason to believe that a contravention of this Order has been made or the said cement is not of the prescribed standard; and

(4) the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) relating to search and seizure shall, so far as may be, applied to searches and seizures under this clause.

6. Testing of samples:- Samples of cement bearing the Standard Mark and drawn by the Appropriate Authority, for ascertaining whether they are of the Specified Standard, shall be tested in the laboratory approved by the Bureau and in the manner as may be determined by the Bureau.

7. Power to issue direction to manufacturers and dealers or sellers:- the Appropriate Authority may issue such directions to manufacturers and dealers or sellers, consistent with the provisions of the Act or this Order, as may be necessary for carrying out the purposes of this Order.

8. Compliance of directions:- Every person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any cement, to whom any direction is issued under this Order shall comply with such directions.

9. Obligation to furnish information:- No manufacturers or dealers shall, with intent to evade the provisions of this Order, refuse to give any information lawfully demanded from him under clause 5 or conceal, destroy, mutilate or deface any books or documents or any cement kept by, or in the possession or control of such person.

F. No. 13(2)/2000-Cem. II]
S. JAGADEESAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054